प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 111/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

महेन्द्र कुमार मेहता पिता फतेह सिंह मेहता पताः 94, एल रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14/01/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 11.06.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/111/25/766–87 दिनांक 29.07.2025 से लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर से नहीं होनें से वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर को लिखा गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./111/25/895–96 दिनांक 09.09.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2025 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। चाही गई वांछित सूचना का संबंध सचिव, महाराणा प्रताप स्मारक समिति, मोती मगरी, उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा धारा 6(i) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 528–30 दिनांक 17.06.2025 को उक्त कार्यालय को अंतरित कर दिया गया। सचिव, महाराणा प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर द्वारा उनके पत्रांक 420 दिनांक 27.06.2025 से अवगत कराया कि उक्त समिति एक लोक प्राधिकरण नहीं होकर एक समिति एवं ट्रस्ट है। जिस पर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा महाराणा प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर से संबंधित सूचना चाही गई है। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 14-01-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर